सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **63/2019** दायर दिनाँक **11.02.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालुराम पुत्र गणपत, जाति—मेघवाल, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सरवन पुत्र स्वर्गीय मेघाराम, 2. रामकरण पुत्र गणपत, समस्त,जाति—मेघवाल, 3. कैलाश पुत्र चेनाराम, जाति—बावरी, समस्त,निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. आर.एम.बी.जे.बैंक, शाखा—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. आई.सी.आई.सी.आई.बैंक, शाखा—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. वादी स्वयं व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 स्वयं।

दिनाँक **15.02.2019**

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद खरेश में खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 21.07 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 272 रकबा 17.16 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 276 रकबा 0.09 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 289 रकबा 01.11 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद, संख्या 03/2019
दायर दिनांक 11.02.2019, निर्णय दिनांक 15.02.2019
लालुराम बनाम् सरवन, वगैरा।

290 रकबा 02.04 बीघा भूमि कुल रकबा 43.07 बीघा भूमि वादी व रूपाराम, सरीता पत्नी स्वर्गीय हीराराम के पिता/पिता स्वर्गीय हीराराम, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की खातेदारी के तथा खेत खसरा नम्बर 212 रकबा 21.02 बीघा वादी व रूपाराम, सरीता पत्नी स्वर्गीय हीराराम, सुशीला पुत्री स्वर्गीय हीराराम, नानी पुत्री स्वर्गीय हीराराम, आरती पुत्री स्वर्गीय स्वर्गीय हीराराम के पति/पिता स्वर्गीय हीराराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 तथा ताराचन्द पुत्र सुरजाराम की खातेदारी में अवस्थित है। उक्त खेताय की खातेदारी की खतौनी की प्रति वाद–पत्र के साथ में प्रस्तुत करते हुए वादी ने एक वाद–पत्र प्रतिवादीगण व रूपाराम, सरीता सुशीला, नानी, आरती, ताराचन्द के विरूद्ध पेश किया है।

वंशावली के अनुसार स्वर्गीय मेघाराम के खेताय में रूपाराम व सरीता पत्नी स्वर्गीय हीराराम, सुशीला पुत्र स्वर्गीय हीराराम, नानी पुत्री स्वर्गीय हीराराम आरती पुत्री स्वर्गीय हीराराम का 1/3 हक हिस्सा होने से स्वर्गीय मेघाराम का खेत खसरा नम्बर 212 रकबा 21.02 बीघा की अलग से अकेले इनके ही नाम से खातेदारी दर्ज हो गयी है। नकल खतौनी पेश है। स्वर्गीय मेघाराम से सम्बन्धित शेष रहे खेतायों की भूमि में वादी लालुराम व प्रतिवादी संख्या 02 रामकरण का 1/2 हिस्सा रकबा 21.13.5 बीघा व प्रतिवादी संख्या 01 सरवन का 1/2 हिस्सा रकबा 21.13.5 बीघा दर्ज होना था परन्तु सहवन से प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में रकबा 23.11 बीघा भूमि व वादी तथा प्रतिवादी संख्या 02 रामकरण प्रतिवादी संख्या 03 कैलाश के रकबा 19.16 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज हो गयी। इस प्रकार अधिक दर्ज दर्ज भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 पुनः संशोधित कराने को सहमत है तथा उक्त बराबर–बराबर बन्टवारा की सहमति के आधार पर खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 21.07 बीघा भूमि में से रकबा 01.17.5 बीघा भूमि की खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 का नाम दर्ज होना लाजमी होने से तथा भविष्य की कठिनाइयों को देखते हुए यह वाद पेश है।

बिनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के वादवर्णितानुसार भूमि खसरा नम्बर 265 रकबा 21.07 बीघा भूमि में से रकबा 01.17.5 बीघा की खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 का नाम दर्ज होना लाजमी होने से तथा भविष्य की कठिनाइयों को देखते हुए निरन्तर अदालत हाजा के उत्पन्न हो रहा है।

प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 06 बैंकों के पास पक्षकारान् की अलग–अलग रूप से भूमि रहन होने से उनको वाद में पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार डीडवाना को आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना वादी है कि,

वादवर्णितानुसार खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 21.07 बीघा भूमि में से रकबा 01.17 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 02 रामकरण के घोषित की जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 63/2019
दायर दिनाँक 11.02.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
लालूराम बनाम् सरवन, वगैरा।

04 ता 07 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम खरेश सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 290/261 खसरा नम्बर 265 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

वादी की इस्तदुआ सुनी गयी। वादी का कथन है कि, खसरा नम्बर 265 में से 01.17 बीघा भूमि वाद व प्रतिवादी संख्या 02 रामकरण के हिस्से में है जिसके अनुसार खातेदारी घोषित की जावे जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 का इकबालिया जवाब पेश है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद का किसी पक्षकार की ओर से खण्डन नहीं किया गया है व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ने सहमति पेश कर दी है तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है। लिहाजा, वादी का वाद, अनतोष वादी माफिक डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वादी का वाद, वादी अनुतोष के परिपेक्ष निम्न आदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता है:–

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद खरेश के खसरा संख्या 265 रकबा 21.07 बीघा भूमि में से रकबा 01.17 बीघा का वादी व प्रतिवादी संख्या 02 को तथा इस खसरे की शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। बैंक का ऋण यथावत् रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **63 / 2019** दायर दिनाँक **11.02.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालुराम पुत्र गणपत, जाति–मेघवाल, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सरवन पुत्र स्वर्गीय मेघाराम, 2. रामकरण पुत्र गणपत, समस्त,जाति–मेघवाल, 3. कैलाश पुत्र चेनाराम, जाति–बावरी, समस्त,निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. आर.एम.बी.जे.बैंक, शाखा–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. आई.सी.आई.सी.आई.बैंक, शाखा–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक **15.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई वादी स्वयं व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 स्वयं ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद खरेश के खसरा संख्या 265 रकबा 21.07 बीघा भूमि में से रकबा 01.17 बीघा का वादी व प्रतिवादी संख्या 02 को तथा इस खसरे की शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। बैंक का ऋण यथावत् रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बावत इजराय		
बावत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना